Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

31 जनवरी 2020

पॉपुलर फ्रंट यूपी प्रदेश एड्हॉक कमेटी के कन्वीनर वसीम अहमद हुए जेल से रिहा

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की यूपी प्रदेश एड्हॉक कमेटी के कन्वीनर वसीम अहमद जेल से रिहा हो गए हैं, जिन्हें 16 दिसंबर 2019 को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में फंसाकर जेल में कैद कर दिया गया था। वसीम अहमद को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर रिमांड पर भेजा गया था और 2 हफ्ते के बाद दारापुरी, शोएब और सदफ जाफर आदि जैसे गलत तरीके से फंसाए गए अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन उन्हें नए मुकदमों में फंसाकर और कई दिनों के लिए जेल में रखा गया। अदालत ने नए मुकदमों में उन्हें जमानत दिए जाने के खिलाफ अभियोजन पक्ष की दलीलों को भी खारिज कर दिया। वसीम को 40 से अधिक दिनों तक जेल में रहना पड़ा।

वसीम अहमद और अन्य 2 सदस्यों कारी अशफाक और मोहम्मद नदीम को यूपी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा के 'मास्टरमाइंड' के रूप में पेश किया था। कारी अशफाक और मोहम्मद नदीम को कुछ दिनों पहले रिहा किया जा चुका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि उनकी रिहाई ने राज्य सरकार की साजिश को बेनकाब करके रख दिया है, जो अपनी लॉ एंड ऑर्डर की नाकामियों का पूरा आरोप लगातार संगठन पर लगाती रही है।

सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर हुई हिंसा की खबरें केवल बीजेपी शासित राज्यों और ज्यादातर यूपी से आई ह। विभिन्न फैक्ट–फाइंडिंग रिपोट यह बताती है कि यूपी के विभिन्न जिलों में होने वाली हिंसा को पुलिस और स्थानीय हिंदुत्व गुंडों ने अंजाम दिया था। कइ मोहल्लों में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के बुजुर्गों, परिवारों यहां तक कि महिलाओं और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किए गए और रिमांड पर भेजे गए स्थानीय मुस्लिम नेताओं और युवाओं को अदालत के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी पुलिस की मनमानी को रद्द करने के न्यायिक आदेशों का सम्मान करने के बजाय, अभी भी लगातार घरों में छानबीन और गैरकानूनी गिरफ्तारियां सहित विभिन्न तरीकों से लोगों को परेशान कर रही है। साथ ही बीजेपी सरकार के एजेडे का पर्दाफाश होने के बाद भी, वह पूरी बेशर्मी के साथ लगातार पॉपुलर फ्रंट को निशाना बना रहे हैं।

मोहम्मद अली जिन्ना ने योगी आदित्यनाथ को याद दिलाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से नफरत की अपनी विचारधारा के बावजूद, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वह संविधान का सम्मान करे और कानून के अनुसार अमल करे। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता को लेकर चल रहे प्रदर्शनों को इस प्रकार की अहंकारी हरकतों से दबाया नहीं जा सकता और इस तरह की दमनकारी कोशिशों से आंदोलन को और ज्यादा मजबूती ही मिलेगी, जो कि आरएसएस की सांप्रदायिक फासीवादी विचारधारा के भी खिलाफ है।

डॉ. मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली